

प्रशासक 2x800MW अदानी ताप विद्युत संयंत्र परियोजना अंचल, पोडैयाहाट-सह-निर्देशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन डी0आर0डी0ए0 का कार्यालय, गोड्डा।

सर्वसाधारण सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा- 16 अन्तर्गत अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड के 2x800MW ताप विद्युत संयंत्र परियोजना हेतु मौजा-सोनडीहा का पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना प्रारूप का प्रस्ताव :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं0-229/रा0, दिनांक-22.03.2017 एवं भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक-534/भू-अर्जन दिनांक-24.03.2017 के द्वारा झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 02 (ख) के अन्तर्गत एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 43 की उपधारा- 1 के अधीन अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड गोड्डा के 2X800 MWके ताप विद्युत संयंत्र परियोजना हेतु भूमि के अर्जन के लिए अधोहस्ताक्षरी को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के आलोक में अधोहस्ताक्षरी को अधिनियम की धारा 16 (1) एवं (2) के अंतर्गत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना तैयार करना है। इस कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी के आदेश पत्रांक-02/प्र(पो0), दिनांक-31.03.2017 के द्वारा अंचल अधिकारी, पोडैयाहाट के नेतृत्व में सरकारी कर्मियों का नौ (09) टीम गठित किया गया। प्रत्येक टीम में दो कर्मी रखे गये एवं सर्वेक्षण टीम को सर्वेक्षण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया एवं सर्वेक्षण से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया। टीम इस प्रकार गठित की गई :-

गठित टीम के सदस्यों का नाम		पर्यवेक्षक
1	श्री योगेन्द्र पासवान, पं0सेवक श्री यदुनन्दन कुमार, पं0सेवक	श्री अशोक कुमार यादव, JSS
2	श्री बिजय कान्त झा, पं0 सेवक श्री दीपनारायण बैद्य, रा0कर्म0	
3	श्री बाबुराम मुर्मू, पं0 सेवक श्री प्रेमकान्त मेहरा, रा0कर्म0	
4	श्री बादल कु0 मरण्डी,पं0 सेवक श्री सरोज कु0 साह, रा0 कर्म0	
5	श्री गौरी शंकर चौधरी, पं0सेवक श्री दीनानाथ पोद्दार, पं0 सेवक	
6	श्री नवलकिशोर सोरेन, पं0सेवक श्री योगेश चन्द्र मिश्रा, रा0कर्म0	श्री सुदामा दास, A.E.
7	श्री गिरीश चन्द्र गिरी, पं0सेवक श्री चन्देश्वरी मेहरा, रा0कर्म0	
8	श्री उमेश प्र0 यादव, पं0 सेवक श्री जय शंकर झा, रा0कर्म0	
9	श्री हिमांशु रंजन दत्ता,पं0 सेवक श्री इन्द्रदेव राय, रा0कर्म0	

उपरोक्त सर्वेक्षण टीम के द्वारा दिनांक-01.04.2017 से 03.04.2017 तक घर-घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण के क्रम में कुल-37 व्यक्तियों के द्वारा दावा किया गया कि वे रैयतों के खेत में मजदूरी करते हैं अथवा बटाईदार के रूप में कार्यरत हैं जिसे आम बोल चाल में भौलीदार कहा जाता है। उनके द्वारा दावा किया गया कि भूमि का अधिग्रहण से उनका जीविका प्रभावित होगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा- 3(C) के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है:-

- I. वह परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति अधिग्रहित की गयी है।
- II. वह परिवार जिसके स्वामित्व में कोई भूमि नहीं है, परन्तु ऐसे परिवार का एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य कृषि श्रमिक, अभिधृति के किसी भी प्रकार को सम्मिलित करते हुए अभिधारी या फलोपभोग अधिकार को धारण करने वाले, बटाईदार या शिल्पी हो सकते हैं या जो भूमि अधिग्रहण के पहले तीन वर्षों से प्रभावी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण द्वारा प्रभावित हुआ हो।
- III. अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पारम्परिक वनवासी जिन्होंने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अधीन मान्यकृत अपने वन अधिकारों में से कोई अधिकार भूमि के अधिग्रहण के कारण खोया है)
- IV. वैसा परिवार जिसकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण के तीन वर्ष पहले से वनों या जल निकायों पर आश्रित रहा है तथा इसमें वनोत्पाद के संकलनकर्ता, शिकारी, मछुआरे एवं नाविक सम्मिलित है तथा ऐसी आजीविका भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होती है।
- V. परिवार का ऐसा सदस्य जिसे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की योजनाओं में से किसी योजना के अधीन भूमि प्रदान की गयी है तथा ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन है।
- VI. भूमि के अधिग्रहण के पहले पिछले तीन वर्षों या इससे अधिक से नगरीय क्षेत्रों में किसी भूमि पर निवास करने वाला एक परिवार या भूमि के अधिग्रहण के पहले तीन वर्षों तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अधिग्रहण द्वारा प्रभावित हुआ है।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में भौलीदार/बटाईदार परिभाषित नहीं है। किन्तु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा- 3(C)(i) के तहत प्रभावित परिवारों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। ऐसी परिस्थिति में सर्वेक्षण टीम के द्वारा इन खेतिहर मजदूर/भौलीदार से प्राप्त दावाओं को अगले 4 दिनों तक जाँच कर यथासंभव सत्यापन किया गया। सत्यापनोपरांत टीम के नेतृत्वकर्ता अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहट के द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दिनांक-को प्रस्तुत किया गया। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी समय-समय पर सर्वेक्षण टीम के कार्यों का निरीक्षण किया गया।

सर्वेक्षण के समय निम्नलिखित आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है जो इस प्रकार है :-

1. समाजिक प्रभाव मूल्यांकन (S.I.A) प्रतिवेदन पर आधारित आँकड़े
2. प्रखण्ड कार्यालय में संधारित वोटर लिस्ट
3. प्रखण्ड कार्यालय में संधारित SECC आंकड़े
4. अंचल कार्यालय/पंचायत कार्यालय/हल्का कचहरी में संधारित परिसम्पत्ति पंजी
5. आपूर्ति विभाग एवं स्वच्छता शौचालय से संबंधित आंकड़े

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा- 16 की उपधारा (2) एवं झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 की धारा-25 की उप धारा (3) के अनुसार निम्नलिखित विशिष्टियों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में अंतर्विष्ट करने का प्रावधान है। प्राप्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित विशिष्टियों को सम्मिलित किया जाता है :-

- (क) विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की सूची- अर्जनाधीन रकवा में कोई निवास नहीं करते है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी परिवार विस्थापित नहीं होते है।
- (ख) प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की सूची- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है।
- (ग) प्रभावित क्षेत्र में भू-धृतियों की सूची- प्रपत्र-Xमें सन्नहित है एवं अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज है।
- (घ) प्रभावित क्षेत्र में व्यवसायियों की सूची- अर्जनाधीन रकवा में कोई व्यवसाय स्थापित नहीं है।
- (ङ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची- अर्जनाधीन रकवा में कोई निवास नहीं करते है। अतः भूमिहीन की सूची शून्य है।
- (च) प्रभावित क्षेत्र में अलाभप्रद समूहों यथा-अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विकलांग व्यक्तियों एवं महिलाओं की सूची -SC- 01 , ST- 01, विकलांग-शून्य, महिलाएँ- शून्य, जिसकी प्रविष्टि प्रपत्र-X के अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज है।
- (छ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन कृषक मजदूरों की सूची - प्रपत्र-Xमें सन्नहित है एवं अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज है।
- (ज) प्रभावित क्षेत्र में बेरोजगार युवकों की सूची - अर्जनाधीन रकवा में कोई निवास नहीं करते है।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के तहत परियोजना प्रभावित रैयतों एवं प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में अदानी पावर झारखण्ड लिमिटेड ने अपने पत्रांक APJL/Land/23317-17 दिनांक 30.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि :-

1. आजीविका सहायता - नौकरी के एवज में प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपये का एकमुस्त भुगतान या 20 साल तक रू0 2000.00 (दो हजार रुपये) प्रतिमाह (जिसमें प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी)।
2. निर्वाह अनुदान एक वर्ष की अवधि के लिए - विस्थापन की स्थिति में रू0 3000.00 (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह प्रत्येक परिवार को एक वर्ष की अवधि तक। प्रभावित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए अतिरिक्त रू0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) भुगतान।
3. एक बार पुनर्वास/पुनर्निवेशन भत्ता -अधिग्रहण के पश्चात् प्रति परिवार को रू0 50000.00 (पचास हजार रुपये) देय होगा।
4. विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन लागत - स्थानान्तरण की स्थिति में प्रत्येक परिवार को एकमुस्त रू0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) वित्तीय सहायता।
5. एक बारगी अनुदान - प्रत्येक कारीगर छोटे दुकानदार या स्वरोजगार लोगों को विस्थापन की दशा में रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) एक मुस्त भुगतान।

6. विस्थापित परिवारों के लिए घर – विस्थापन की स्थिति में विस्थापित परिवारों को घर के मुआवजे के साथ सरकारी नियमानुसार घर बनाकर दिया जाएगा।
7. पशुशाला/फुटकर (खोखा) दुकान – प्रभावित पशुशाला एवं फुटकार (खोखा) दुकान के लिए एकमुस्त रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये) देय होगा।

अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के आलोक में सभी प्रभावित परिवारों (भूस्वामी एवं वे परिवार जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित भूमि पर आश्रित हैं) के लिए पुनर्वास एवं पुर्नबन्दोबस्ती हकदारी के लिए निम्न प्रावधान अनुसूची- 3 के आलोक में प्रस्तावित है।

क्रम सं०	पुनर्वास एवं पुनर्बन्दोबस्ती हकदारी के तत्व	हकदारी/प्रावधान	क्या प्रावधान किए गए हैं या नहीं (यदि प्रावधान किए गए हैं, उनके विस्तृत विवरण)
1	2	3	4
1	विस्थापन की दशा में गृह निर्माण इकाईयों के प्रावधान	(1) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का नुकसान हुआ है, इंदिरा आवास योजना की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार एक निर्मित घर उपलब्ध कराया जायेगा, अगर शहरी क्षेत्रों में मकान का नुकसान हुआ है, एक निर्मित घर उपलब्ध कराया जायेगा जो 50 वर्ग मीटर के प्लैथ लेवल (कुर्सी लेवल) से कम का नहीं होगा।) से कम का नहीं होगा। 2. उपर वर्णित लाभ ऐसे किसी प्रभावित परिवार तक भी विस्तारित किए जायेंगे जिसके पास वासभूमि नहीं है तथा जो प्रभावित क्षेत्र के अधिसूचना की तिथि के पहले कम से कम तीन वर्षों की अवधि से निरंतर उस क्षेत्र में रह रहा है तथा जिसे उसकी इच्छा के बिना ऐसे क्षेत्र से विस्थापित किया गया है: परंतु यह कि शहरी क्षेत्र में रहने वाला ऐसा कोई परिवार जो प्रस्तावित मकान नहीं लेने का विकल्प चुनता है, गृह निर्माण के लिए एकमुस्त वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, जो एक लाख पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा: परंतु यह भी कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित परिवार इस प्रकार का विकल्प चुनता है निर्मित मकान के बदले में मकान का समतुल्य कीमत प्रस्तावित किया जा सकेगा: परंतु यह भी कि अर्जन द्वारा प्रभावित किसी भी परिवार को इस अधिनियम के प्रावधानों के	प्रभावित क्षेत्र में कोई विस्थापन का मामला नहीं है अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।

		अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।	
2	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना के मामले में, जहाँ तक संभाव हो एवं अर्जित भूमि के लिए भुगतान की जाने वाले मुआवजे के बदले में प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रखने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को एवं जिसकी भूमि अर्जित की गयी है या नुकसान हुआ है, या जो अर्जन या नुकसान के परिणाम स्वरूप सीमांत किसान या भूमिहीन किसान की स्थिति में पहुँच गया है प्रभावित परिवार जिसकी भूमि अर्जित की गयी है के सम्बन्ध में खतियान में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर परियोजना के सम्मिलित क्षेत्र में कम से कम एक एकड़ भूमि आवंटित किया जायेगा: परंतु यह कि प्रत्येक परियोजना में भूमि खोने वाले एवं अनुसूचित जनजाति से आनेवाले लोगों को अर्जित भूमि के समतुल्य भूमि या ढाई एकड़ भूमि जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।	यह एक सिंचाई परियोजना नहीं है अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
3	विकसित भूमि के लिए प्रस्ताव	अगर शहरीकरण के उद्देश्यों के लिए भूमि अर्जित की जाती है विकसित भूमि का बीस प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जायेगा तथा परियोजना में भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में तथा अर्जन की लागत तथा विकास की लागत के समतुल्य मूल्य के समानुपात में दिया जायेगा: परंतु यह कि अगर परियोजना में भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों की इस प्रस्ताव का लाभ उठाने की ईच्छा है, उसे भुगतेय भूमि अर्जन मुआवजा पैकेज के कटौती की जायेगी।	यह परियोजना शहरीकरण के उद्देश्य से नहीं है अतः प्रावधान लागू नहीं होता।
4	वार्षिक भुगतान नियोजन विकल्प या का	यथोचित सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों का निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराये जायें: (क) जहाँ अपेक्षित क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण एवं कला कौशल विकास का प्रावधान करने के उपरांत परियोजना के माध्यम से रोजगार सृजित किए जाते	संलग्न प्रपत्र-X के अनुसार भुगतेय।

		हैं वहाँ परियोजना में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून दर पर नियोजन का प्रावधान बना सकेगी या यथोपेक्षित किसी अन्य परियोजना में में रोजगार की व्यवस्था करेगी; या (ख) प्रति प्रभावित परिवार पाँच लाख रूपयों का एकमुश्त भुगतान; या (ग) वार्षिक भुगतान नीति जो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में यथोचित संकेतक के साथ बीस वर्षों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह दो हजार रूपये से अन्यून का भुगतान करेगा।	
5	एक वर्ष तक के लिए विस्थापित परिवारों के लिए निर्वाह भत्ता दिया जाना	प्रत्येक परिवार जो अर्जित भूमि से विस्थापित किया जाता है, उसे अधिनिर्णय की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए तीन हजार रूपये प्रतिमाह के समतुल्य निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। इस राशि के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोग पचास हजार रूपये के समतुल्य राशि प्राप्त करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के विस्थापन के मामले में, जहाँ तक संभाव हो, प्रभावित परिवारों को समान पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बसाया जायेगा, ताकि जनजाति समुदायों के आर्थिक अवसर, भाषा, संस्कृति एवं सामुदायिक जीवन बरकरार रखा जा सके।	प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं है अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
6	विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन व्यय	प्रत्येक प्रभावित परिवार जो विस्थापित किया गया है, परिवार, भवन सामाग्रियां, सामान एवं मवेशियों को ले जाने के लिए परिवहन व्यय के तौर पर पचास हजार रूपये का एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा	प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं है अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
7	पशु बाड़ा/छोटी दुकानें खोलने का व्यय	पशु रखने वाले या छोटा दुकान वाला प्रत्येक प्रभावित परिवार पशु बाड़ा या छोटी दुकान, जो भी स्थिति हो, के निर्माण के लिए ऐसी राशि का एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जैसा यथोचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो न्यूनतम	प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं है अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।

		पच्चीस हजार रूपये के अधीन होगा।	
8	कारीगरों, छोटे व्यापारियों एवं कुछ अन्य को एक मुश्त अनुदान	किसी कारीगर, छोटा व्यापारी या स्व-नियोजित व्यक्ति का प्रत्येक परिवार या प्रत्येक प्रभावित परिवार जिसकी प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषि भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत संरचना थी, तथा जिसे भूमि अर्जन के कारण उसकी ईच्छा के विरुद्ध प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित किया गया है, ऐसी राशि की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, जैसी यथोचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन होगा।	प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं है अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
9	मत्स्य अधिकार	सिंचाई परियोजना के मामले में, प्रभावित परिवारों को यथोचित सरकार द्वारा विहित किए जा सकने वाली रीति से जलाशयों में मत्स्य अधिकार दिए जा सकेंगे।	यह एक सिंचाई परियोजना नहीं है अतः यह प्रावधान लागू नहीं होता है।
10	एकमुश्त पुनर्वास भत्ता	प्रत्येक प्रभावित परिवार को पचास हजार रूपये का एकमुश्त "पुनर्वास भत्ता" दिया जायेगा।	संलग्न प्रपत्र-X के अनुसार भुगतये।
11	स्टांप शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क	(1) प्रभावित परिवारों को आवंटित किया जाने वाला मकान या भूमि के रजिस्ट्रेशन के लिए भुगतान किया जाने वाला स्टाम्प तथा अन्य शुल्क रिक्वायरिंग बॉडी (अपेक्षा करने वाले निकाय) द्वारा वहन किए जायेंगे। (2) प्रभावित परिवारों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी अवधारणों से मुक्त होगी। (3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित परिवार के पत्नी या पति के संयुक्त नाम में हो सकेगा।	इस परियोजना हेतु कोई विस्थापन नहीं है अतः किसी परिवार को मकान आवंटन करने का प्रावधान लागू नहीं होता है।

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक- 217/रा0, दिनांक-07.04.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में तैयार प्रभावित परिवारों की विस्तृत सूची एवं गणना तालिका प्रारूप (प्रपत्र-X) गोड्डा जिला के Website :- www.godda.nic.in के Land Acquisition में देखा जा सकता है। कुछ रैयतों की जमीन एक से अधिक मौजाओं/गाँवों में पड़ती है उन्हें पुनर्वास हेतु एक ही इकाई माना गया है एवं इसी प्रकार जो खेतिहर मजदूर/प्रभावित परिवार प्रभावित क्षेत्र के एक से अधिक गाँवों में प्रभावित है, उन्हें भी पुनर्वास हेतु एक ही इकाई माना गया है।

प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अगले 15 दिनों तक दावा/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को समर्पित किया जा सकता है। ग्राम सभा करने हेतु अलग से तिथि प्रकाशित की जाएगी।

प्रशासक

(अंचल-पोड़ैयाहाट)

2x800 MW अडानी तापीय संयंत्र

—सह—

निदेशकलेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन,
डी0आर0डी0ए0, गोड्डा।